बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- 151864 पटना, दिनांक- 13-06-2013

ग्रा.वि.5/सा0आ0जन0(अनु.)-103-07/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी ।
भोजपुर

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 में पूर्व प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक से कार्य लेने के दौरान कारणवश शेष कार्य (सुरक्षित) पर्यवेक्षक से कराने के क्रम में मानदेय की राशि वितरण हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।**

प्रसंग:- **आपके पत्र संख्या-50, दिनांक-27.05.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का सन्दर्भ किया जाए । उक्त पत्र के द्वारा विषयाधीन मामले में मॉगे गये मार्गदर्शन के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या 100744, दिनांक-12.04.12 के अनुलग्न 1 की कंडिका-3 में पर्यवेक्षकों के मानदेय एवं TA/DA की अनुमान्यता एवं दर के साथ स्पष्ट किया गया है, कि यदि किसी पर्यवेक्षक द्वारा 24 (EBs) से कम का पर्यवेक्षण किया गया है तो उपरोक्त कंडिका-3 के आलोक में ही गणना कर यथानुपात (Pro-rata) के आधार पर मानदेय एवं TA/DA का भुगतान किया जा सकता है ।

अत: अनुरोध है कि उपरोक्त मार्गदर्शन के आलोक में पूर्व में कार्यरत पर्यवेक्षक मो0 ताहिर हुसैन एवं वर्तमान में कार्यरत पर्यवेक्षक के मानदेय एवं TA/DA के भुगतान की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन

13/6/13

(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।